बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधि०सू०सं0–निग / सारा–4(पथ) आरोप–43 / 2020 4282(s) पटना, दिनांक 22/6/26

अधिसूचना

श्री शशि भूषण सहाय, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, बाँका सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पटना पश्चिम के पथ प्रमंडल, बांका के पदस्थापन काल में ''सिमुलतल्ला–कटोरिया पथ एवं कच्ची काँवरिया पथ में कराये गये कार्यों की जाँच उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–02 से करायी गयी। जाँचोपरांत उड़नदस्ता प्रमंडल द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षोपरांत निम्नलिखित त्रुटियाँ / अनियमितता पायी गयी :–

(i) सिमुलतल्ला–कटोरिया पथ के 13वें कि0मी0 में कराए गए BM कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 2.693% पाया गया है, जो प्रावधान से कम है।

(ii) सिमुलतल्ला–कटोरिया पथ के 1वें कि0मी0 में कराए गए SDBC कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 3.6966% पाया गया है, जो प्रावधान से कम है।

(iii) कच्ची कांवरिया पथ के कि0मी0 10, 19, 26, 36 एवं 46 में कल्भर्ट का पैरापेट टुटा हुआ पाया गया है एवं अनेक स्थानों पर Raincut पाए गए है।

(iv) कच्ची कांवरिया पथ के 2रे कि0मी0 में कराए गए RCC नाला के Cover में प्रयुक्त मिश्रण C:S:A का अनुपात औसत 1:4.86:7.37 पाया गया है, जबकि प्रावधान 1:1.5:3 का है।

2. उक्त पायी गयी त्रुटियों / अनियमितताओं के लिए श्री सहाय के विरूद्ध उक्त आरोपों के लिए आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक–4778 (एस) अनु० दिनांक–09.08.2023 द्वारा स्पष्टीकरण पुछा गया। श्री सहाय के पत्रांक–शून्य दिनांक–26.09.2023 द्वारा स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया गया।

3. स्पष्टीकरण उत्तर के समीक्षोपरांत अस्वीकृत करते हुए संकल्प संख्या–4791 (एस) अनु० दिनांक 26.09.2024 के द्वारा श्री सहाय के विरूद्ध गठित आरोप पत्र के आधार पर अनुशासनीक कार्यवाही संचालित किया गया। संचालित अनुशासनीक कार्यवाही में मुख्य अभियंता–सह–संचालन पदाधिकारी, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा पत्रांक–1108 (अनु०) दिनांक–07.04.2025 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री सहाय के विरूद्ध लगाये गये सभी चारों आरोपों को अप्रमाणित होने का निष्कर्ष दिया गया।

4. जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में सक्षम प्राधिकार द्वारा आरोप संख्या–(i), (ii) एवं (iii) पर संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष से असहमति एवं आरोप संख्या–(iv) के निष्कर्ष से सहमति व्यक्त की गयी। सृजित निम्न असहमति के बिन्दु पर पत्रांक–9146 (एस) अनु० दिनांक–02.12.2025 के द्वारा श्री सहाय से लिखित अभिकथन के रूप में द्वितीय कारण–पृच्छा किया गया :–

(i) विभागीय पत्रांक–340 (एस) दिनांक 07.01.2010 एवं ज्ञापांक–4323 (ई०) दिनांक–16.06.2020 के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि उक्त परिपत्र संवेदक के मामले में लिये गये निर्णय से संबंधित है,

इसके द्वारा कोई सामान्य अनुदेश निर्गत नहीं किया गया है, इसलिए हर मामले में इसे मानने की बाध्यता नहीं है। अतएव संचालन पदाधिकारी का निष्कर्ष सहमति योग्य नहीं है।

(ii) विभागीय मार्गदर्शिका में सभी व्यवहारिक एवं तकनीकी मापदण्डों/कठिनाईयों, जिसके कारण बिटुमिन का क्षय (Loss) होता है, का समावेश करते हुए ही टोलरेन्स लिमिट का निर्धारण किया गया है, जबकि इस मामले में बिटुमीन की औसत मात्रा टॉलरेन्स लिमिट (2.94%) से भी कम पाया गया है। अतएव संचालन पदाधिकारी का निष्कर्ष सहमति योग्य नहीं है।

(iii) एकरारनामा के अनुसार आलोच्य कार्य की समाप्ति की तिथि 10.07.2014 है और आलोच्य कार्य के एकरारनामा के Special Condition की कंडिका–25 (b) के अनुसार आलोच्य कार्य के समाप्ति की तिथि से तीन वर्ष तक DLP के अन्तर्गत है। अतएव संचालन पदाधिकारी का निष्कर्ष सहमति योग्य नहीं है।

5. श्री सहाय के पत्रांक–शून्य दिनांक–09.12.2025 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा मुख्य रूप से निम्न तर्कों/तथ्यों को रखा गया :–

(i) BM कार्य में अलकतरा की औसत मात्रा 3.30% का प्रावधान था, परन्तु विभागीय मार्गदर्शिका के अनुसार BM कार्य में अलकतरा की औसत मात्रा 2.94% तक पाये जाने का टॉलरेन्स लिमिट के अंतर्गत बताया गया है। इस प्रकार BM कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा के संबंध में निर्धारित टॉलरेन्स लिमिट (2.94%) से मामूली रूप से ही कमी पायी गयी है और जो कमी पायी गयी है वह जाँच के क्रम में मानवीय भूल–चूक की वजह से हो सकती है। किसी भी जाँचफल में नमूना संग्रह करने का तरीका जाँचफल को प्रभावित करता है। नमूना संग्रह हेतु छेनी हथौड़ी का प्रयोग किया गया, जबकि कोर कटर का प्रावधान है। छेनी हथौड़ी के प्रयोग के कारण कुछ छोटे टुकड़े छिटकने की संभावना रहती है, जिनका Bitumen Content अधिक रहता है। प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन में आलोच्य पथ पॉटरहित पाये जाने का उल्लेख है। यदि BM कार्य में अलकतरा की औसत मात्रा में कमी पायी जाती तो आलोच्य पथ पॉटरहित नहीं पाया जाता, बल्कि पथ में कई पॉट्स पाये जाते, परन्तु ऐसा नहीं हुआ।

(ii) पथ कार्य में एकरारनामा के अनुसार SDBC Gr.-I का कार्य कराने का प्रावधान किया गया था, जिसके अनुसार SDBC कार्य में 4.5% औसत अलकतरा की मात्रा का प्रयोग किया गया था। SDBC Gr.-I कार्य में 4.5% औसत अलकतरा का प्रावधान होने के कारण विभागीय मार्गदर्शिका में 3.77% तक अलकतरा की औसत मात्रा पाये जाने पर इसे टॉलरेन्स लिमिट के अंतर्गत माना गया है। आलोच्य कार्य में 3.6966% औसत अलकतरा की मात्रा पाया गया, जो निर्धारित टॉलरेन्स लिमिट (3.77%) से मामूली रूप से कम है।

(iii) विभागीय पत्रांक–10/प्राक०–01–13/2013–5527 (एस) दिनांक–10.07.2013, जिसके द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, में मात्र एक अद्द RCC कलर्भट का निर्माण करने का प्रावधान है, जबकि जाँचदल के द्वारा कई कलर्भट तथा कि०मी० 10, 19, 26, 36 एवं 46 में स्थित कलर्भट के पैरापेट टूटे हुये पाये जाने का जिक्र किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि एकरारनामा के Special Condition की कंडिका–25 (b) में वैसे कार्यों के लिए DLP निर्धारित किया गया है, जिन मदों का कार्य

आलोच्य एकरारनामा के तहत् कराया गया, परन्तु जाँचदल के द्वारा प्रतिवेदित किये गये कलर्भट का निर्माण आलोच्य एकरारनामा के अंतर्गत नहीं किया गया था। अतएव जाँचदल के द्वारा प्रतिवेदित कलर्भट का निर्माण कार्य DLP से आच्छादित नहीं था। पथ कार्य में मूल रूप से बालू भराई का कार्य कराया गया था एवं Earth Work का कार्य नहीं कराया गया था। अतः Earth Work को Raincut का त्रुटि DLP से अच्छादित नहीं थी। बालू भराई के कार्य में कोई त्रुटि नहीं पायी गयी है।

6. श्री सहाय के पत्रांक–शून्य दिनांक–19.12.2025 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर की विभाग द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि आलोच्य पथ कार्य में BM कार्य एवं SDBC कार्य में अलकतरा की औसत मात्रा निर्धारित टॉलरेन्स लिमिट से कम पाया गया है। इस प्रकार श्री सहाय के विरूद्ध आरोप संख्या–(i) एवं (ii) प्रमाणित पाये गये। प्रतिवेदित कलर्भट कार्य DLP से आच्छादित नहीं था, इसलिए श्री सहाय के विरूद्ध आरोप संख्या–(iii) अप्रमाणित पाया गया।

7. अतएव उपर्युक्त के आलोक में **श्री शशि भूषण सहाय**, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, बाँका सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पटना पश्चिम के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर पत्रांक–शून्य दिनांक–09.12.2025 को सम्यक विचारोपरांत अस्वीकृत करते हुए प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 14 (i) के तहत निम्न शास्ति अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया जाता है :–

(i) **"निन्दन (आरोप वर्ष 2015)"।**

8. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–4(पथ) आरोप–43/2020 **पटना, दिनांक :–**

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–4(पथ) आरोप–43/2020 **पटना, दिनांक :–**

प्रतिलिपि :– सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, पथ

निबंधित

प्रमंडल, बाँका/उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (मु0/लेखा)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1/2/6/13/14, एवं लेखा शाखा (प्रशाखा–30), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं **श्री शशि भूषण सहाय**, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, बाँका सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पटना पश्चिम को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– निग/सारा–4(पथ) आरोप–43/2020 4283(5) पटना, दिनांक :– 22/6/20

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

22/6/2020

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।